नम्बर आदेश ...	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम खीमसिंह प्रकरण सख्या 57/2020 धारा 136	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.	प्रकरण संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2019/3708 दिनांक 13.12.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रस्तुत कर DILRMP योजना के तहत अपवादित खातों के निस्तारण हेतु पटवारी हल्का खाराबेरा पुरोहितान की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खाराबेरा पुरोहितान के खाता संख्या 454 में वर्तमान जमाबंदी अनुसार हिस्सा कस्सी करने पर पूरे खाते का कुल योग एक नहीं हो रहा व मौके पर संलग्न फर्द अनुसार कब्जा हैं, सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए जमाबंदी में तदानुसार हिस्से दर्ज करने का निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सभी पक्षकारों को नोटिस के जरिये सूचित किया। जिसकी विधिवत तामिली रिपोर्ट प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 5 के कायम मुकाम की ओर से श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल है तथा अप्रार्थी संख्या 12 के कायम मुकाम जसवंत सिंह व भोपालसिंह तथा अप्रार्थी संख्या 13 बाबूसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा गया। किसी भी पक्षकार द्वारा पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण DILRMP योजना के तहत राजस्व रेकर्ड को हिस्सा कस्सी करते हुए ऑनलाइन किया जाना है। इसके तहत तहसीलदार लूणी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया तथा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वंय मिसल बन्दोबस्त से जांच की गयी। जिसके अनुसार वर्णित खाते की मिसल बन्दोबस्त में स्पष्ट हिस्सा कस्सी दर्ज है। अतः तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अपवादित खाते को मिसल बन्दोबस्त में इन्द्राज हिस्से अनुसार हिस्सा कस्सी कर रेकर्ड दुरस्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	